पर्यावरण विनाश की ओर बढ़ती नीतियां

डॉ. महेश परिमल

हाल ही में सरकार ने नई पर्यावरण नीति की घोषणा की है। पर्यावरण और विकास दोनों ही साथ रहें, ऐसी सोच अब तक किसी सरकार में नहीं देखी गई। आम तौर पर सरकार ऐसी नीतियां बनाती हैं, जिससे पर्यावरण का संरक्षण तो कम, विनाश अधिक होता है। कहा यह जाता है कि इन नीतियों से पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ विकास होगा, पर ऐसा होता नहीं है, बल्कि विकास के नाम पर विनाश ही अधिक होता है। एनडीए सरकार पर्यावरण के कारण अटके प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना चाहती है। इसलिए पहले पर्यावरण मंज़ूरी की जो समय सीमा 105 दिन थी, उसे घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। सरकार की यह जल्दबाज़ी पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए हानिकारक है। देश की पर्यावरण नीति गलत दिशा में जा रही है। इसके लक्षण अभी से दिखाई दे रहे हैं।

कितने ही प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, जिन्हें पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता होती है। अनुमति प्राप्त होने में कई बार देर हो जाती है। किसी प्रोजेक्ट से पर्यावरण को किस तरह से हानि हो सकती है, इसकी जानकारी रातों-रात पता नहीं चलती। उसके लिए पर्यावरणविदों की एक टीम अध्ययन करती है, शोध करती है ताकि पता चल सके कि इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण को किस तरह से हानि होगी। कई प्रोजेक्ट के खिलाफ पर्यावरणविद लामबंद भी होते हैं। सरकार इन विरोधों को गंभीरता से न लेकर आरोप लगाती है कि वे लोग विकास का विरोध कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नई सरकार कर रही है। वह प्रोजेक्ट्स को धड़ाधड़ अनुमति देकर विकास के पथ पर तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती है।

पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पद संभालते ही यह संकेत दे दिया कि अब प्रोजेक्ट्स को पर्यावरण अनुमति में विलम्ब नहीं होगा। अभी सरकार के पास पर्यावरण मंज़ूरी के लिए आने वाले 358 प्रोजेक्ट्स विचाराधीन हैं। ये प्रोजेक्ट्स इसलिए विचाराधीन हैं, क्योंकि इस पर विचार चल रहा है।

मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान आ रहा हो, तो यह देखना होता है कि प्रोजेक्ट स्थापित किए जाने के बाद वह वहां के वन्य जीवन को किस तरह से नुकसान पहुंचाएगा, वहां के प्राणियों का संरक्षण किस तरह से किया जाएगा, सम्बंधित प्रोजेक्ट प्राणी संरक्षण के लिए किस तरह का कार्य करेगा वगैरह। अधिकांश मामलों में यही होता है कि पूरे अध्ययन के बाद यह बात सामने आती है कि प्रोजेक्ट के स्थापित होने से पर्यावरण को नुकसान अधिक होगा, इसलिए उन प्रोजेक्ट को मंज़ूरी नहीं मिल पाती।

लेकिन अब सरकार जल्दबाज़ी में कई प्रोजेक्ट को मंज़ूरी देने वाली है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होगा, यह तय है। नई सरकार की इस तरह की पहल भविष्य में पर्यावरणीय नुकसान के लिए दोषी होगी। नई नीति में प्रोजेक्ट स्थापित करने की इच्छुक कंपनी ही यह तय करेगी कि उसके प्रोजेक्ट के असर का पर्यावरणीय अध्ययन कौन करेगा। यानी यदि ए नाम की कोई कंपनी पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाला प्रोजेक्ट स्थापित करना चाहती है, तो वही यह तय करेगी कि कौन-सी कंपनी पर्यावरण पर होने वाले असर का अध्ययन करेगी। यह तो वही बात हुई कि अपराधी से कहा जाए कि चार ऐसे इंसानों को सामने लाओ, जो तुम्हें निर्दोष बताएं। तय है कि इसमें भ्रष्टाचार होगा। कंपनी उन्हीं संस्थाओं को चुनेगी, जो उसके समर्थन में रिपोर्ट देने को तैयार हों।

पिछली सरकार ने यह नियम रखा था कि प्रोजेक्ट की फाइल आने के 105 दिनों के अंदर उसे पर्यावरणीय मंजूरी देनी है या नहीं, यह तय किया जाए। यानी प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने वाली कंपनी को कम से कम 105 दिन तक तो इंतज़ार करना ही होता था। इसके बाद भी यह इंतज़ार काफी लंबा हो जाता था, इसलिए प्रोजेक्ट ताक पर रख दिए जाते थे।

नई सरकार ने 105 दिन की इस समय सीमा को 60 दिन कर दिया है। इस समय सीमा का सख्ती से पालन करना होगा। यदि पालन नहीं किया गया, तो सम्बंधित अधिकारी को दंड दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान भी किया गया है। यह काम सरलता से हो, इसके लिए कई काम ऑनलाइन करने की सुविधा भी दी जाएगी।

हकीकत यह है कि तमाम प्रोजेक्ट्स के पर्यावरण असर का अध्ययन 60 दिनों में संभव ही नहीं है। मान लीजिए किसी पक्षी अभयारण्य के आसपास कोई प्रोजेक्ट स्थापित किया जाना है। कंपनी इसके लिए सरकार को ग्रीष्म ऋतु में फाइल देती है। इसके बाद 60 दिन के नियम के अनुसार उस प्रोजेक्ट के लिए हां या ना कह दिया जाता है। किंतु पक्षी अभयारण्य में कई प्रवासी पक्षी केवल शीत ऋतु में ही आते हैं। यह तथ्य अध्ययन में नहीं आ पाएगा। शीत ऋतु में जब यायावर पक्षी वहां पहुंचेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि जहां वे अमूमन अंडे देते हैं, वहां तो फैक्टरी बन रही है। इस तरह से जल्दबाज़ी में यदि निर्णय ले लिया जाता है, तो पक्षी अभयारण्य का क्या होगा?

अतीत में नर्मदा बांध, कुदनकुलम परमाणु संयंत्र, निरमा प्रोजेक्ट, नियमगिरी में पॉस्को स्टील कारखाना आदि का काफी विरोध हुआ। कितने ही विरोध सही होने के कारण प्रोजेक्ट बंद भी हुए हैं। यह सही है कि कुछ स्थानों पर गलत इरादे से विरोध भी होता आया है। सरकार ने इस मुद्दे को भी ध्यान में रखा है। नए नियम के अनुसार प्रोजेक्ट की घोषणा होने के दो महीने के अंदर यदि किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा विरोध नहीं किया जाता, तो यह मान लिया जाएगा कि इस प्रोजेक्ट से किसी को भी किसी तरह का नुकसान नहीं हो रहा है।

सरकार यहीं नहीं रुकी है। अतीत में रद्द हो चुके प्रोजेक्ट्स को भी सरकार पर्यावरणीय मंज़ूरी देना चाह रही है। यह भी पर्यावरण के संदर्भ में एक नुकसानदेह कदम साबित होगा। पर्यावरण के नुकसान के चलते पॉस्को की योजना धराशायी हो गई। यदि इसे मंज़ूरी मिल गई होती, तो ओड़िशा में स्थापित होने वाला यह सबसे बड़ा स्टील प्लांट होता। गोवा में खनन कार्य बंद हो गया है। नई सरकार ये सब फिर से शुरू करना चाहती है। यदि यह सब होता रहा, तो किस तरह से पर्यावरण का संरक्षण हो पाएगा? इस समय सरकार के पास पर्यावरणीय मंज़ूरी के लिए लंबित प्रोजेक्ट्स की संख्या 358 है। इनमें से 137 औद्योगिक, 69 इंफ्रास्टक्चर, 36 कोयले की खानें, 63 अन्य खानें, 21 नदी घाटी, 17 नए निर्माण और 14 थर्मल प्रोजेक्ट हैं। ***(स्रोत फीचर्स)***

अगले अंक में....

स्रोत दिसम्बर 2014
अंक 311

- **जल बिन मछली**
- **बीमारियों के नियंत्रण के जीएम दावे के खतरे**
- **मीटर को परिभाषित करने वाली नोबल गैस क्रिप्टॉन**
- **घरेलू वायु प्रदूषण से हर वर्ष 45 लाख मौतें**
- **अंतरिक्ष में पानी उबालना आसान नहीं होता**